जी0ओ0–5

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 535 / सत्रह-वि-1-2(क) 7-1995

लखनऊ,13 मार्च,1995

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1)द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग अध्यादेश, 1995 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1995) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गो के लियें राज्य आयोग अध्यादेश, 1995

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 1995)

(भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियो से भिन्न पिछड़े वर्गो के लिए आयोग के गठन और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि, उपर्युक्त विषयों की व्यवस्था करने लिए राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 1994 को उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग अध्यादेश, 1994, प्रख्यापित किया गया था।

और, चूंकि उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग विधेयक 1995 दिनांक 6 फरवरी, 1995 को उत्तर प्रदेश विधान-परिषद् में पुनः स्थापित किया गया था और वह उक्त सदन में लिम्बित है।

और, चूकि राज्य विधान मंडल सत्र में नही है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं।

अध्याय एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, अध्यादेश, 1995 कहा जायेगा।

(2) यह 17 नवम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2- इस अध्यादेश में-

(क) "पिछड़े वर्गो" का तात्पर्य नागरिकों के ऐसे वर्गो से है जो समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है:

(ख) "आयोग" का तात्पर्य धारा3 के अधीन गठित पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग से है :

(ग) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है :

(घ) "अनुसूची" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक से है।

अध्याय दो
पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग

पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग का गठन

3- (1) राज्य सरकार इस अध्यादेश के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी जिसे पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग कहा जायेगा।

(2) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें

(3) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों

में से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे। परन्तु चार सदस्य, जिनमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, पिछड़े वर्गो से होगे।

पदाविधि और शर्तें

4- (1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए पदधारण करेगा।

(2) कोई सदस्य राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा यथास्थिति, अध्यक्ष के या सदस्य के पद से किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकता है किन्तु जब तक उसका त्याग-पत्र स्वीकृत नहीं कर लिया जाता वह अपने पद पर बना रहेगा।

(3) राज्य सरकार किसी 'व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति-

(क) अननुमोचित दिवालिया हो जाय

(ख) किसी अपराध के लिये जिसमें, राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो सिद्ध दोष और कारावास से दण्डित किया जाय :

(ग) विकृत चित्त हो जाय और किसी समक्ष न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय।

(घ) कार्य करने से इनकार कर दे या कार्य करने अयोग्य हो जाय

(ड़) आयोग से अनुपस्थिति रहने की छुट्टी प्राप्त किये बिना, आयोग की निरन्तर तीन बैठकों से अनुपस्थिति रहे।

या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग करे जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना पिछड़े वर्गो के हित या लोकहित के लिए हानिकारक हो जाय

परन्तु किसी भी व्यक्ति को , इस खण्ड के अधीन, हटाया नही जायेगा। जब

तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया

हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय-वेतन और भत्ते उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

5- (1) राज्य सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक हो।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाय।

वेतन और भत्ते का भुगतान अनुदान से किया जाना।

6- अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियो को देय वेतन, भत्ते और पेंशन भी सम्मिलित है, का भुगतान धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से किया जायेगा।

रिक्तियां इत्यादि से आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी।

7- आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही आयोग के गठन में केवल कोई रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

आयोग द्वारा प्रक्रिया विनियमित किया जाना

8- (1) आयोग जब आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव या सचिव द्वारा इस निमित सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगें।

अध्याय तीन
आयोग के कृत्य और शक्तियां

आयोग के कृत्य

9- (1) आयोग निम्नलिखित समस्त या किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात-

(क) अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किये जाने के अनुरोधों का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किये जाने या सम्मिलित न किये जाने की शिकायतें सुनेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसी वह उचित समझे:

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से संबन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करेगा और ऐसे रक्षोपायों की प्रणाली का मूल्यांकन करेगा।

(ग) पिछड़े वर्गो के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा।

(घ) पिछड़े वर्गो के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेगा और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्याकंन करेगा।

राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(च) पिछड़े वर्गो के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करेगा।

(छ) पिछड़े वर्गो के संरक्षण, कल्याण, विकास और

अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जायं निर्वहन करेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष/आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गयी या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही और एकसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हों, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी।

आयोग की शक्ति

10- आयोग को धारा, 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी और विशेषतः न्मिनलिखित बातों के संबंध में शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात-

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अधियाचना, करना।

(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(च) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाय।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूची का नियतकांलिक पुनरीक्षण

11- (1) राज्य सरकार किसी भी समय अनुसूची से उन वर्गो को, जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गये है, निकालने की दृष्टि से या नये पिछड़े वर्गो को सम्मिलित करने के लिए अनुसूची का पुनरीक्षण कर सकती है और इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की समाप्ति पर

और उसके प्रश्चात् प्रत्येक दस वर्ष की उत्तरवर्ती अवधि की समाप्ति पर ऐसा पुनरीक्षण करेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय आयोग से परामर्श करेंगी।

अध्याय चार
वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षण

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

12- (1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किये जाने के पश्चात इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिये उपभोग किये जाने के लिये अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि, जैसा राज्य सरकार उचित समझे आयोग को भुगतान करेंगी।

(2) आयोग इस अध्यादेश के अधीन कृत्यों के पालन के लिए ऐसी राशि जैसी वह उचित समझे खर्च कर सकता है, और ऐसी राशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझी जायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

13- (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखा की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा और ऐसे अन्तराल पर, जैसा विहित किया जाय, की जायेगी।

(3) लेखा परीक्षक को बहियों,लेखों, संबंधित बाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रादि को पेश करने की अपेक्षा करने और आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए ऐसी शक्ति होगी, जैसी विहित की जाय।

वार्षिक रिपोर्ट

14- आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, वार्षिक रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

राज्य विधानमण्डल के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का रखा जाना

15- राज्य सरकार धारा 9 के अधीन आयोग द्वारा दी गयी सलाह पर की कार्यवाही और ऐसी किसी सलाह के अस्वीकार करने, यदि कोई हों, के कारण के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उसको प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य, विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेंगी।

अध्याय पांच
विविध

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

16- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत आयोग के अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगें।

नियम बनाने की शक्ति

17- (1) राज्य सरकार,अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्-

(क) धारा-4 की उपधारा (8) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा-5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते।

(ख) प्रपत्र, जिसमें धारा-13 की उपधारा(1) के अधीन वार्षिक लेखा का विवरण रखा जायेगा।

(ग) प्रपत्र, जिसमें और समय जब धारा 14 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

(घ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।

शक्ति

18- जो कोई, धारा 10 के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करने के लिये वैध रूप से आवद्ध होते हुए, इस आदेश या निर्देश की जानबूझ कर अवज्ञा करें वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174,175,176,178,179 या 180 के अधीन, जैसी भी स्थिति हो दण्डनीय होगा।

अपराध का संज्ञान

19- कोई न्यायालय धारा 18 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आयोग के किसी अधिकारी के परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नही।

सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

20- किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिए जो इस अध्यादेश तदन्तर्गत बनाए गये नियमों के उपबंधो के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हों या किए जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जाएगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगीं।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

21- (1) इस अध्यादेश के उपबंधो को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबंध बना सकती है, जो इस अध्यादेश के उपबंधो से असंगत न हो और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नही दिया जायेगा।

(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियिम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उपधारा (1) की अधीन बनाये गये प्रत्येक आदेश पर उसी प्रकार

लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते है।

अपवाद

22- इस अध्यादेश में किसी बात के होते हुए, भी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 22/16/92-का-2-93, दिनांक 9 मार्च 1993 द्वारा गठित आयोग इस अध्यादेश के उपबंधो के अधीन गठित आयोग समझा जायेगा और उक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के तीन वर्ष के कार्यकाल की संगणना उनके द्वारा अपने पद ग्रहण करने के दिनांक से की जाएगी।

निरसन और अपवाद

23- (1) उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग अध्यादेश, 1994 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत थे।

मोती लाल वोरा
राज्यपाल उत्तर प्रदेश

आज्ञा से
नरेन्द्र कुमार नारंग
प्रमुख सचिव